राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(28)ग्रावि/नरेगा/राज.उच्च.न्या./2012–13 जयपुर, दिनांक : 29 AUG 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषयः– **डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/11 सुओ मोटो बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबन्ध में।**

प्रसंगः– **विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4(9)पंरावि/पी.सी./वर्षा जल संरक्षण/2011–12 दिनांक 30.07.2012 एवं 14.05.2015 तथा समसंख्यक पत्रांक दिनांक 05.08.2015**

महोदय,

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विषय के संबन्ध में समय–समय पर दिए गए आदेशों के क्रम में विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबन्ध में संदर्भित पत्र के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ जिलों में विभिन्न विभागों द्वारा जारी निर्देशों की पालना नही की जा रही है।

जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 26.06.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा आदेशित किया गया है कि "माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर राजस्थान द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्णय की अनुपालना में आदेशित किया जाता है कि राज्य में पूर्व में निर्मित बांधों एवं जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर/चैक डैम आदि का निर्माण कार्य बिना जल संसाधन विभाग की पूर्वानुमति के नही कराया जावे। इस संबन्ध में बांध/जलाशय में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर/चैक डैम आदि के निर्माण कार्य कराने से पूर्व इनकी उँचाई एवं भराव क्षमता निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6(31)एआर/ग्रुप–3/2011 दिनांक 03.08.2011 द्वारा गठित समिति की अनुमति आवश्यक होगी।"

जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 26.06.2012 तथा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। साथ ही इस संबन्ध में विभाग द्वारा संदर्भित पत्रों में दिए गए निर्देशों को पुनः निम्नानुसार दोहराया जाता है :–

- विभाग की **महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित किसी भी योजना** में, जल बहाव क्षेत्र में किसी प्रकार के **जल संरक्षण/संचयन स्ट्रक्चर्स/एनिकट का निर्माण**, क्षेत्र में **वर्षा के उचित सर्वे के बिना** (मुख्य रूप से पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा बांध के बहाव क्षेत्र में उपयुक्त Over Flow की उपलब्धता) **नहीं किया** जावे। निर्माण से पूर्व जल संसाधन विभाग से पूर्वानुमति आवश्यक रूप से ली जावे चाहे इस प्रकार के **निर्माण की ऊँचाई निम्नतम तल से 2.0 मीटर से कम ही क्यों ना हो। 2 मीटर से अधिक ऊँचाई के जल संरक्षण/संचयन स्ट्रक्चर्स/एनिकट का निर्माण के लिए कार्यकारी एजेन्सी केवल जल संसाधन विभाग ही होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 2 मीटर से अधिक ऊँचाई के जल संरक्षण/संचयन स्ट्रक्चर्स/एनिकट का निर्माण किसी भी हालत में नही कराया जायेगा।**

- विभाग की किसी भी योजना में, बहाव क्षेत्र में **सडक निर्माण आवश्यक होने पर, पर्याप्त Cross Drainage Works (CD Works) का प्रावधान** आवश्यक रूप से किया जावे, ताकि पानी के अविरल बहाव में रूकावट उत्पन्न नही हो।

- ऐसा **कोई भी निर्माण कार्य पानी के बहाव क्षेत्र में नही** किया जावे, जिससे **पानी के अविरल बहाव में रूकावट उत्पन्न** हो।

- बहाव क्षेत्र में विभाग द्वारा **कृषि के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ भू आवंटन/ भू–संपरिवर्तन नही** किया जावे एवं **ना ही कोई आवासीय कॉलोनी विकसित** की जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

29.8.2016

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक मुअजस/अधी.अभि./एसबीसीडब्ल्यूपी–11153/2011/रामगढ़/ 1981 दिनांक 26-06-2012

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर राजस्थान द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार (रेस्टोरेशन रामगढ लेक) में दिनांक 29.04.2012 को बांधो एवं जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर/चैक डैम आदि के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश दिये गये :–

"The Water Resources Department of the State has already issued directions not to allow construction of anicuts more than 2 meters height. The directions have not been properly executed by other departments. The order issued by the Water Resources Department may be conveyed to all the departments so that in further anicuts may not be constructed with a height of more than 2 meters other than in exceptional cases but in those cases also it should be with the permission of the Water Resources Department."

बांधो एवं जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर/चैक डैम आदि के निर्माण को नियंत्रित करने हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समय समय पर निम्नलिखित आदेश जारी कर निर्देश जारी किये गये :–

1 क्रमांक प.3(16)एएसआई सैल/94/999 दिनांक 14.12.1994
2 क्रमांक प.3(8)एएसआई सैल/96/413 दिनांक 14.06.1999
3 क्रमांक टी/एफ 353/रिव्यू मिटिंग/आईएम/मुअजस/4076–77 दिनांक 07.08.2002
4 क्रमांक टी/एफ 216पार्ट–4/टीए एसएस/655–56 दिनांक 04.06.2007
5 क्रमांक एफ–3(मिस) एएसआई सैल/2010/1304–122 दिनांक 22/26 .07.2010

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर राजस्थान द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्णय की अनुपालना में आदेशित किया जाता है कि राज्य में पूर्व में निर्मित बांधो एवं जलाशयों के जल संग्रहण क्षेत्र में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर/ चैक डैम आदि का निर्माण कार्य बिना जल संसाधन विभाग की पूर्वानुमति के नही कराया जावे। इस संबंध में बांध/जलाशय में एनिकट/वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रकचर/चैक डैम आदि के निर्माण कार्य कराने से पूर्व इनकी ऊँचाई एवं भराव क्षमता निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6(31)एआर/ग्रुप–3/2011 दिनांक 03.08.2011 द्वारा गठित समिति की अनुमति आवश्यक होगी ।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

प्रमुख शासन सचिव

कमांक मुअजस/अधी.अभि./एसबीसीडब्ल्यूपी–11153/2011/रामगढ/1982-2069 दिनांक: 26-06-2012

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:–

1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज.जयपुर।
2 निजी सचिव माननीय जल संसाधन मंत्री, राज.जयपुर।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज.जयपुर।
4 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवम् पर्यावरण विभाग, राज.जयपुर। ✓
5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज.विभाग। ✓
6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास एवम् स्थानीय निकाय विभाग, राज.जयपुर।
8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज.जयपुर।
9 निजी सचिव, आयुक्त जन जाति क्षैत्रिय विकास विभाग, उदयपुर ।
10 समस्त मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर। ✓
11 समस्त जिला कलेक्टर, राज.जयपुर।
12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ..... ✓

26/6/12
मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन